मंथन कमाँक–117 ''भारतीय राजनीति मे अच्छे लोग''

समाज मे अच्छे शब्द की जो परिभाषा प्रचलित है उस परिभाषा मे भी राजनीति को कोई अच्छा स्थान प्राप्त नही हैं। राजनीति कभी भी न समाज सेवा का सर्वश्रेष्ठ आधार बनी न ही व्यवस्था परिर्वतन का। इसलिये राजनीति का नाम आते ही बहुत से अच्छे लोग उसके प्रति नफरत का भाव दिखाना शुरू कर देते है। किन्तु राजनीति समाज व्यवस्था का एक अनिवार्य अंग होने से हम उस प्रकिया से बिल्कुल अलग नही हो सकते क्योकि हम चाहे राजनीति से कितनी भी दूरी क्यो न बना लें किन्तु उसका तो हमारे जन जीवन पर प्रभाव पडना ही है। शौच कर्म और शौचालय से हम चाहे कितनी भी घृणा क्यो न करते हों किन्तु वह हमारे जीवन प्रणाली का अभिन्न अंग होने से उसकी चिन्ता और व्यवस्था तो हमें करनी ही होगी।

राजनीति में अच्छे शब्द की परिभाषा देश काल परिस्थिति अनुसार बदलती रहती है। स्वतंत्रता के पूर्व राजनीति मे अच्छे लोग की परिभाषा यह थी कि वह व्यक्ति स्वतंत्रता संघर्ष के लिये किस सीमा तक संघर्ष और त्याग करता है। उस समय लाभ या भोग की तो कोई कल्पना ही नही थी। स्वतंत्रता के बाद यह परिभाषा बदली और अच्छे लोग वे कहे जाने लगे जो अपने अपने परिवार के या अपने संगठन के लिये आर्थिक लाभ उठाने से दूर रहकर अन्य सम्मान या सुविधाएँ लेते रहे । वर्तमान समय मे राजनीति मे अच्छे शब्द की परिभाषा और संकुचित होकर सिर्फ अपने या परिवार के आर्थिक लाभ से दूरी तक आकर सिमट गई है। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि कोई व्यक्ति अपने संगठन, दल, जाति या धर्म के लाभ तक ही सीमित रहकर स्वय अपने या परिवार के लिये आर्थिक लाभ से बच जाता है तो वह अच्छा आदमी है। अब तो धीरे–धीरे यह परिभाषा भी और संकुचित होने की स्थिति में है क्योकि अब तो ऐसे लोग भी राजनीति मे अपवाद स्वरूप ही बचे है। इसलिये धीरे–धीरे अच्छे लोग की परिभाषा बदलकर यह बन गई है कि जो व्यक्ति अपने व्यक्तिगत या पारिवारिक लाभ के लिये बलात्कार, हत्या, लूटपाट, जालसाजी आदि का सहारा लिये बिना राजनीति मे सक्रिय रह सके वह अच्छा आदमी है। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि कोई व्यक्ति कितना भी भ्रष्टाचार करे किन्तु उसमे हिंसा, जालसाजी या लूटपाट आदि न हो तो वह अच्छा आदमी है अथवा वह चाहे कितनी भी हिंसा बलात्कार हत्या क्यों न करें किन्तु वह व्यक्तिगत या पारिवारिक हित मे न होकर दल हित या जनहित में हो तो भी वह अच्छा आदमी माना जा सकता है। अब तो यह परिभाषा और भी संकुचित होकर ऐसी बन गई है कि जो व्यक्ति ऐसे हत्या बलात्कार डकैती के जघन्य आरोपों मे न्यायालय द्वारा दण्डित न हो जावे तब तक वह अच्छा आदमी है। लालू प्रसाद यादव, ओम प्रकाश चौटाला आदि भी अब बुरे आदमी नहीं माने जा रहे हैं। पप्पू यादव, शिब्बू सोरेन तो अच्छे आदमी घोषित ही है। इस तरह यदि हम स्वतंत्रता के तत्काल बाद की अच्छे आदमी की वर्तमान राजनीति में तलाश करें तो वह संख्या पूरी तरह शून्य हो चुकी है। यदि हम मध्य काल की परिभाषा मे ऑकलन करे तो अब राजनीति मे बहुत थोडे ही लोग बचे है जो स्वयं भ्रष्ट या अपराधी नहीं है किन्तु दल हित मे किये जा रहे भ्रष्टाचार या अपराध कार्य के विरूद्ध नही। यदि हम वर्तमान की परिभाषा से ऑकलन करे तो वर्तमान मे दस–पांच प्रतिशत प्रत्यक्ष दण्ड प्राप्त नेताओं अपराधियो को छोडकर सभी राजनीतिज्ञ अच्छे लोग है।

समाज शास्त्र के नियम कुछ अलग होते है। जब राजनीति मे अच्छे लोगो की संख्या नगण्य हो जावे अथवा अच्छे लोगो की परिभाषा औसत से नीचे चली जावे तब राजनीति मे समाज के हस्तक्षेप की जरूरत आ जाती है। यह हस्तक्षेप बिल्कुल भिन्न प्रकार का होता है। इस हस्तक्षेप के आधार पर समाज राजनीति मे सुधार के प्रयत्नो को असंभव मानकर पूरी राजनैतिक व्यवस्था को ही बदल देने की सोच शुरू कर देता है। ऐसे समय मे एक जन शक्ति खडी होती है जो समाज मे स्पष्ट विभाजन करके राजनीति से संबद्ध और उससे संघर्षरत जैसे दो गुट बनाती है। इस ध्रुवीकरण मे जो अच्छे लोग राजनीति को सुधारने की कोशिश मे लगे रहते है वे भी शत्रु पक्ष ही माने जाते है चाहे वे कितने भी अच्छे क्यो न हो । सीधा विभाजन होता है जिसमें एक पक्ष होता है राजनीति से जुडे लोगो का और दूसरा होता है व्यवस्था परिवर्तन वालो का। तीसरा कोई पक्ष होता ही नही। जब रामायण काल मे युद्ध की स्थिति आई तो जो लोग रावण को सुधारने के प्रयत्न में लगे थे वे सब शत्रु पक्ष मानकर आज भी अपमानित है। जो लोग रावण को छोडकर आये वे सम्मानित है भले ही वे राज परिवार के ही क्यो न हो। उचित अनुचित की सामाजिक परिभाषा को शिथिल करके देश काल परिस्थिति अनुसार नई परिभाषा बनी जिसमें आंशिक छल कपट को भी मान्य किया गया। महाभारत काल मे भी जो अच्छे लोग कंस के खेमे में रह गये वे आज तक कलंकित है । विदुर और भीष्म पितामह की भूमिका अलग–अलग रही है। बलराम भी चूंकि तटस्थ थे इसलिये कृष्ण के परिवार होते हुए भी सम्मानित नही हुए। कृष्ण ने आवश्यकतानुसार छल कपट का भी सहारा लिया किन्तु वे पूज्य माने गये।

वर्तमान स्थिति में राजनीति में अच्छे लोगो की संख्या भी नगण्य हो गई है और परिभाषाएं भी लगातार सिकुडती जा रही है। राजनीति को सुधारने के प्रयत्न असफल सिद्ध हो रहे है। भविष्य में भी सुधार की कोई संभावना न के बराबर ही है। इसके विपरीत ये नाम मात्र के अच्छे लोग स्पष्ट ध्रुवीकरण में बाधक ही हो रहे है। जब महमूद गजनी ने भारत पर आक्रमण किया था तब अपने मुठ्ठी भर सैनिक के आगे गायो का एक झुड रखकर इसलिये बढा कि ये गाये ही उसकी ढाल बन सकेंगी। आज भी सच्चाई यह है कि राजनीति मे नाम मात्र के अच्छे लोग इन दुष्टो के सुरक्षा कवच का काम कर रहे है।

अटल जी, मनमोहन सिंह सरीखे अच्छे प्रधानमंत्री अब तक राजनीति में सुधार करते–करते शहीद हो चुके है। नीतिश कुमार, नरेन्द्र मोदी और अखिलेश यादव सरीखे अच्छे लोग भी निरन्तर पूरी सक्रियता और ईमानदारी से राजनीति की गुणवत्ता को सुधारते–सुधारते शहादत की कगार पर खडे है। राहुल गांधी भी यह बेमतलब की कसरत करते हुये स्पष्ट ध्रुवीकरण में बाधक ही बनेंगे क्योंकि वर्तमान राजनैतिक व्यवस्था में व्यक्ति बुरे नहीं, व्यवस्था बुरी है जो व्यक्ति को बुरा बनने के लिए प्रेरित या मजबूर कर रही है। एक सीधा सा सिद्धान्त है कि कोई भी राजनैतिक शक्ति किसी व्यक्ति के पास इकठ्ठी होती है तब बुरे लोग उस शक्ति को प्राप्त करने के लिये अधिक सक्रियता से प्रयत्न करते है। परिणाम होता है अच्छे लोगो का पलायन और बुरे लोगो वर्चस्व। यदि व्यवस्था खराब नहीं होती और अच्छे लोग ही व्यवस्था बनाते तो सन् 1947 में राजनीति ने अच्छे लोगो प्रतिशत आज की तुलना में कई गुना अधिक था फिर भी अच्छे लोगों प्रतिशत घटता चला गया तो अब यह मुठ्ठी भर अच्छे लोग बदलाव की मृग तृष्णा में स्पष्ट ध्रुवीकरण में बाधक क्यों बन रहे है। बाबा रामदेव, मोहन भागवत सरीखे लोगो को भी राजनीति से नारदमोह भंग नहीं हो रहा है। ये भी भविष्य में भीष्म पितामाह के सरीखे पूज्य माने जायेगे, विभीषण सरीखे कलंकित नहीं क्योंकि पूरी व्यवस्था कलंक और पूज्य होने की मनमानी परिभाषाएं बनाती रहती है। 70 वर्षो तक कुछ नासमझों और बुरे लोगों ने मिलकर समाज को अल्पसंख्यक तुष्टिकरण के भ्रम जाल में उलझाये रखा तो अब कुछ नये नासमझ और बुरे लोग मिलकर बहुसंख्यक तुष्टिकरण का नया प्रयोग कर रहे है। अब कुछ महीनों से राहुल गांधी फिर से अल्पसंख्यक तुष्टिकरण की मुहिम को आधार बनाकर सारे बुरे राजेताओं के सुरक्षा कवच बन रहे है। मैं लम्बे समय से महसूस कर रहा हूँ कि व्यक्ति गलत नहीं है भारत की राजनैतिक व्यवस्था गलत है और व्यवस्था में मौलिक संशोधन ही इसका समाधान हो सकता है।

लोकतंत्र हमारा आदर्श न था न है। विकल्प के अभाव में हमने लोकतंत्र का मार्ग चुना क्योकि लोक स्वराज्य की अवधारणा ही कभी साफ नही हुई और तानाशाही या लोकतंत्र मे एक को हमने चुना। अब हम लोक स्वराज्य को आधार बनाकर लोकतंत्र को चुनौती दे रहे है। लोकतंत्र लगातार या तो अव्यवस्था की दिशा मे बढ रहा है या तानाशाही की दिशा में। भारत में संविधान का शासन है कानून का नहीं। दुर्भाग्य से हमारे राजनेताओं ने स्वतंत्रता के तत्काल बाद ही संविधान और कानून दोनो पर अपना नियंत्रण कर लिया है। मेरे विचार में इसमें प्रमुख भूमिका निभाने वाले संविधान निर्माताओं की नीयत खराब थी तभी उन्होंने संविधान संशोधन के असीम अधिकार भी उसी संसद को दे दिये जो कानून भी बनाती है और पालन भी कराती है। पूरा तंत्र संविधान के अंतर्गत काम करने का ढोंग भी करता है और संविधान को अपनी मुठ्ठी में कैद भी रखता है। भारत में संसदीय लोकतंत्र कहा जाता है किन्तु वास्तव में संसदीय तानाशाही है क्योंकि संविधान का शासन लोकतंत्र होता है और शासन का संविधान तानाशाही। समय आ गया है कि अब समाज इन बुरे लोगों पर नियंत्रण के लिये सीधा हस्तक्षेप करे जिसकी शुरूआत भारतीय संविधान को तंत्र की गुलामी से मुक्त कराने के प्रयत्नों से हो सकती है। हमारे तथाकथित नासमझ अच्छे लोग इस बीमार लोकतंत्र को जीवित रखने मे ही अपनी सफलता समझ रहे है। कोई इसे मजबूत होने का खिताब दे रहा है तो कोई दूसरा मतदान के महापर्व का। भारत मे लोक प्रति पांच वर्ष मे घर से बाहर निकलकर या निकाला जाकर इस लोकतंत्र पर मुहर लगा देता है। यह मोहर ही हमारी गुलामी की स्वीकृति की प्रतीक होती है तो यही इस लोकतंत्र की एकमात्र सफलता भी मानी जाती है और इस मुहर लगवाने मे हमारे सभी अच्छे लोग परेशान है। अब यह खेल या भूल लम्बे समय तक नही चल सकती और न चलनी चाहिये। मैं पिछले बीस वर्षो से अपनी गुलामी की स्वीकृति सहमति रूपी इस महापर्व से दूर रहा और वोट देने दिलाने नहीं गया। मुझे अपने कार्य पर संतोष है। लोकतंत्र पूरी तरह असफल हो चुका है। लोक स्वराज्य ही उसका एकमात्र विकल्प है। राजनीति मे जो अपने को अच्छे लोग मानते है वे अब लोकतंत्र की ढाल बनने का पाप न करे। यथाशीध्र ध्रुवीकरण मजबूत करने की आवश्यकता है। आशा है कि हमारे अच्छे लोग इस आवश्यकता को समझने का प्रयास करेगें।

संसद मंदिर, संविधान भगवान।

नेता पुजारी, सफल दुकानदारी।।

मंथन कमांक–118 ''समान नागरिक संहिता''

व्यक्ति और नागरिक एक ही होते हुये भी अलग–अलग भूमिकाओं में होते है। व्यक्ति सामाजिक भूमिका में होता है तो नागरिक संवैधानिक भूमिका में। व्यक्ति जब तक अकेला होता है तब तक वह व्यक्ति के रूप में होता है किन्तु जब व्यक्ति किसी संवैधानिक व्यवस्था के अंर्तगत रहना स्वीकार कर लेता है तब वह नागरिक कहलाता है। वैसे तो समूची दुनियां का एक संविधान होना चाहिये किन्तु अभी तक ऐसा कोई संविधान न बनने के कारण राष्ट्र को ही व्यवस्था की अंतिम इकाई मान लिया गया है। इसलिये किसी राष्ट्र के संविधान के अंतर्गत रहने वाला व्यक्ति नागरिक माना जाता है।

नागरिकता ग्रहण करने के बाद भी न व्यक्ति की सामाजिक मान्यता समाप्त होती है न ही उसका मौलिक अधिकार। व्यक्ति जब तक अकेला है तब तक उसे असीम स्वतंत्रता प्राप्त है किन्तु जब व्यक्ति किसी परिवार का सदस्य बन जाता है तब उसकी असीम स्वतंत्रता समान स्वतंत्रता में बदल जाती है। इसी तरह व्यक्ति विश्व समुदाय का सदस्य है। इसलिये उसकी स्वतंत्रता असीम होते हुये भी समान होती है। किसी भी नागरिक को समान स्वतंत्रता ही हो सकती है, असीम नहीं जबकि प्रत्येक व्यक्ति को असीम स्वतंत्रता होती है। इसका अर्थ हुआ कि कोई भी व्यक्ति किसी भी इकाई में शामिल होते ही सम्पूर्ण समर्पण कर देता है किन्तु संपूर्ण समर्पण के बाद भी, इकाई में रहते हुये भी, उसके मौलिक अधिकार सुरक्षित रहते है। किसी नागरिक के मौलिक अधिकार किसी भी परिस्थिति में कम नही किये जा सकते जब तक उसने अपराध न किया हो।

व्यक्ति का व्यक्तिगत आचरण उसकी असीम स्वतंत्रता है और किसी अन्य के साथ उसका व्यवहार नागरिक के रूप में प्रभावित संचालित होता है। यह सामाजिक ताना–बाना जटिल होते हुये भी बिल्कुल साफ–साफ है कि व्यक्ति की व्यक्तिगत भूमिका और सामूहिक भूमिका एक साथ चलती रहती है अर्थात व्यक्ति को व्यक्तिगत मामले में निर्णय लेने की पूरी स्वतंत्रता है और सामूहिक मामलों में वह समूह का निर्णय मानने के लिये बाध्य है। यही व्यक्ति और नागरिक के बीच का महत्वपूर्ण अन्तर है। व्यक्ति अपनी सहमति से नागरिकता स्वीकार करने के लिये स्वतंत्र है किन्तु कोई भी अन्य किसी व्यक्ति को नागरिक बनने के लिये बाध्य नहीं कर सकता। इसलिये असीम स्वतंत्रता व्यक्ति का व्यक्तिगत अधिकार है और उसकी स्वतंत्रता में किसी प्रकार कि बाधा पहुॅचाना अपराध है। आचार संहिता व्यक्ति स्वयं बनाता है और नागरिक संहिता व्यक्ति समूह बनाता है जिस व्यक्ति समूह में वह व्यक्ति स्वयं भी शामिल है तथा जो अपनी आचार संहिता बनाने के लिये स्वतंत्र है। इसका अर्थ हुआ कि आप नागरिकता स्वीकार करने के बाद तब तक अपनी स्वतंत्र आचार संहिता नहीं बना सकते जब तक आप अपनी नागरिकता न बदल ले। किसी व्यक्ति को अपनी नागरिकता बदलने से रोकना या बाधा पहुॅचाना अपराध है यद्यपि अनेक साम्यवादी और मुस्लिम देश इसे अपराध नहीं मानते। वास्तविकता यह है कि संविधान सर्वोच्च होता है। संविधान निर्माण में सभी व्यक्तिओं की बराबर भूमिका होती है। संविधान के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपना आचरण करने के लिये बाध्य है क्योंकि उसने अपनी सहमति से नागरिकता स्वीकार कर ली है।

जब भारत का संविधान बना तब संविधान निर्माताओं ने भारत की मौलिक सोच के विरूद्ध विदेशी संविधानों की नकल की। उन्हें मौलिक अधिकार की परिभाषा का ज्ञान नही था, उन्हे व्यक्ति और नागरिक का फर्क भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं था, यद्यपि उन्होंने संविधान में दोनों को अलग–अलग करने का भी प्रयास किया। व्यक्ति का व्यक्तिगत आचरण उसकी असीम स्वतंत्रता है और सामाजिक व्यवहार समान स्वतंत्रता। समानता का यह अदभुत तालमेल ही व्यवस्था है किन्तु संविधान लागू होते ही संविधान में असमानता के मनमाने प्रावधान डाल दिये गये। संविधान में स्पष्ट लिखा गया कि कोई भी कानून धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर किसी भी परिस्थिति में कोई भेद नहीं कर सकता। किन्तु उसी के साथ परन्तु लगाकर राज्य को यह अधिकार भी दे दिया गया वह किसी भी प्रकार का कोई भी भेद करने वाला कानून बना सकता है यदि उसे वह कानून जनहित में आवश्यक लगे। यहॉ तक कि संविधान संशोधन का भी अधिकार उसी तंत्र को दे दिया गया जो कानून बनाता हैं और पालन करवाता है। इस तरह अप्रत्यक्ष रूप से वास्तविक लोकतंत्र की हत्या करके एक नकली लोकतंत्र स्थापित कर दिया गया क्योंकि लोकतंत्र की वास्तविक परिभाषा न समझने के कारण विदेशों से उधार ली गई परिभाषा को ही लोकतंत्र मान लिया गया। संविधान की कमजोरी का लाभ उठाने में संविधान निर्माताओं ने ही पहल कर दी। किसी ने न्यायपालिका के अधिकार सीमित कर दिये तो किसी अन्य ने हिन्दू कोड बिल बनाकर इस प्रावधान का

दुरूपयोग किया। आगे चल कर तो ऐसा दुरूपयोग करने वालों की बाढ सी ही आ गयी। आदर्श लोकतंत्र में परिवार, गांव, जिला, प्रदेश और केन्द्र अपना–अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखते हुये भी केन्द्रिय संवैधानिक व्यवस्था के सहायक होते है किन्तु संविधान निर्माताओं ने प्राथमिक इकाई परिवार गांव और जिले की व्यवस्था को संविधान से बाहर कर दिया और जाति, धर्म, क्षेत्र, लिंग, उम्र के आधार पर चलने वाली स्वतंत्र व्यवस्थाओं को संविधान का अंग बना दिया। हम देख रहे है कि व्यवस्था को मजबूत करने वाली इकाईयां व्यवस्था से बाहर है दूसरी ओर व्यवस्था को कमजोर करने वाली इकाईयां व्यवस्था का अंग बनी हुई है। एक तरफ हिन्दुओं के लिये हिन्दू कोड बिल को संवैधानिक मान्यता दे दी गई तो दूसरी ओर मुसलमानों को उनका पर्सनल लॉ भी दे दिया गया। इसे संविधान या कानून बनाने वालों की बुरी नीयत न माना जाये तो क्या कहा जाये। किसी कानून को किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत आचरण में तब तक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये जब तक उस व्यक्ति की सहमति से संविधान न बना हो। दूसरी ओर नागरिक सहिंता किसी भी परिस्थिति में किसी व्यक्ति के साथ किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नही कर सकती क्योंकि प्रत्येक नागरिक के अधिकार समान होते है। किसी भी परिस्थिति में इन नागरिक अधिकारों को असमान नही किया जा सकता। किन्तु भारत की नकली लोकतांत्रिक व्यवस्था व्यक्ति के व्यक्तिगत मामलों में सब प्रकार के हस्तक्षेप करती है तो नागरिकता के मामले में भी अलग–अलग और असमान कानून बनाती है। भारत में धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्रियता, उम्र, लिंग, आर्थिक स्थिति, व्यावसायिक स्थिति में अलग–अलग कानून बनाकर वर्ग विद्वेष, वर्ग संघर्ष बढाना ही लोकतंत्र सशक्तिकरण का आधार बना दिया गया है। जिस देश में वर्ग विद्वेष, वर्ग संघर्ष ही लोकतंत्र का आधार होगा उस देश में अव्यवस्था बढ़ेगी ही। भारत में अव्यवस्था का बढ़ना इस रददी संविधान का स्वाभाविक परिणाम है।

स्पष्ट है कि परिस्थितियां जटिल है और बिगड़ती जा रही है। व्यक्ति के व्यक्तिगत आचरण में असीम असमानता हो सकती है और नागरिकता के कानून किसी भी परिस्थिति में असमान नही हो सकते। कोई कानून व्यक्ति के नागरिक व्यवहार में भेदभाव नहीं कर सकता जो किया जा रहा है। इसलिये यह बात स्वीकार करनी चाहिये कि आचार संहिता में समानता के प्रयत्न मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है और नागरिक संहिता में असमानता की स्वीकृति अव्यवस्था का आधार है। नागरिक संहिता पूरी तरह समान ही होनी चाहिये क्योंकि प्रत्येक नागरिक के अधिकार समान होते है। अल्पसंख्यक–बहुसंख्यक, अवर्ण–सवर्ण आदिवासी, महिला–पुरूष, पिछडे क्षेत्र, गरीब–अमीर, हिन्दी–अंग्रेजी, युवा–वृद्ध, किसान–मजदूर, उत्पादक–उपभोक्ता, ग्रामीण–शहरी, शिक्षित–अशिक्षित आदि का किसी भी प्रकार से कोई भेद बढ़ाने वाला कानून नहीं बनाया जा सकता। कोई भी व्यवस्था किसी विशेष स्थिति में किसी कमजोर की सहायता कर सकती है किन्तु अधिकार नहीं दे सकती। अधिकार और सहायता का अंतर भी संविधान बनाने वाले नहीं समझ सके तो यह दोष किसका? सामाजिक न्याय के नाम पर जो भी कानून बनायें गये है वे व्यक्ति के सामाजिक जीवन में भेद–भाव और असमानता पैदा करते है। सच्चाई यह है कि अन्याय दूर करने के नाम पर जिस अव्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है वह अप्रत्यक्ष रूप से अन्याय है क्योंकि न्याय और व्यवस्था एक दूसरे के पूरक होते है। यदि अव्यवस्था बढेगी तो अन्याय बढेगा ही। व्यवस्था को कमजोर करके न्याय की मांग करना स्वार्थी राजनेताओं का व्यवसाय बन गया है।

स्पष्ट है कि समान नागरिक संहिता पूरी अव्यवस्था का एक बडा समाधान है। संघ परिवार जिस समान नागरिक संहिता की बात करता है वह समान नागरिक सहिंता के विपरीत है। वह समान आचार संहिता को ही नागरिक संहिता के रूप में प्रस्तुत करता है, जो घातक है। महिला हो या पुरूष, किसी को विशेषाधिकार नहीं होना चाहिये। जब हमारे कानून बनाने वालों ने हिन्दू कोड बिल के माध्यम से एक से अधिक विवाह पर रोक लगाई वह रोक महिला और पुरूष की स्वतंत्रता का भी उल्लंघन थी और हिन्दू–मुसलमान के बीच में भेदभाव भी पैदा करने वाली। समान नागरिक सहिंता का अर्थ हिन्दू कोड बिल सरीखा ही कानून मुसलमानों पर लागू करना नहीं हो सकता बल्कि मुसलमानों के समान ही हिन्दुओं को भी पर्सनल लॉ की छूट देकर हिन्दू कोड बिल को खत्म करना होना चाहिये जो न संघ परिवार कहता है न ही मुसलमान समझते है। यदि समान नागरिक सहिंता का स्पष्ट अर्थ समाज को बता दिया जाये कि भारत की सम्पूर्ण संवैधानिक व्यवस्था में 125 करोड व्यक्तिओं को समान अधिकार होगें अर्थात भारत 125 करोड व्यक्तिओं का देश होगा धर्म जातियों या विभिन्न भाषाओं का संघ नही। तब सारे भेद पैदा करने वाली व्यवस्थायें अपने आप समाप्त हो जायेगी। जिस दिन भारत में समान नागरिक सहिंता लागू कर दी जायेगी उसी दिन हिन्दू कोड बिल अपने आप मर जायेगा। गरीब–अमीर के झगडे खत्म हो जायेंगे।

महिला–पुरूष के भी बीच झगडे नही रहेंगे। आदिवासी हरिजन सवर्ण जैसे शब्द इतिहास बन जायेंगे। क्षेत्रीयता अथवा भाषा के झगड़े नही रहेगे। अपने आप समस्यायें जुलझ जायेंगी। सबसे अच्छा तो ये होगा कि समाज में वर्ग विद्वेष पैदा करके राजनैतिक दुकानदारी चलाने वाले राजनेताओं की दुकाने बंद हो जायेगी।

मेरा स्पष्ट सुझाव है कि समान नागरिक संहिता भारत की सभी समस्याओं का एक बडा समाधान है। इस दिशा में सबको सक्रिय होना चाहिये।

प्रश्नोत्तर ''समान नागरिक संहिता''

प्रश्न–1 क्या कोई व्यक्ति बिना किसी देश का नागरिक बने अकेला भी रह सकता है?

उत्तर–वह अपनी नागरिकता बदलते समय व्यक्ति के रूप अकेला रहता है और दूसरे देश की नागरिकता मिलते ही वह नये देश का नागरिक हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति बिल्कुल अकेला रहना चाहे तो वह सिद्धान्तः रह तो सकता है किन्तु उसे सुरक्षा की आवश्यकता पडती है और संविधान ही सुरक्षा की गारंटी देता है इसलिये नागरिकता उसकी मजबूरी हो जाती है।

प्रश्न–2 क्या संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व इकाई नही है ?

उत्तर–संयुक्त राष्ट्र कुछ राष्ट्रों के समझौते से काम कर रहा है किन्तु वह विश्व इकाई नही है क्योंकि उसकी बात मानने के लिये सभी राष्ट्र बाध्य नहीं है। उसके संविधान बनाने में व्यक्तियों की भूमिका न होकर राष्ट्रों की होती है।

प्रश्न–3 असीम और समान शब्द विपरीत अर्थ रखते है? आप दोनों को एक कैसे कर देते है?

उत्तर–व्यक्ति जब तक अकेला है तब तक असीम स्वतंत्रता है और परिवार या किसी अन्य इकाई का सदस्य बनते ही उसकी स्वतंत्रता सीमित होकर समान हो जाती है। समाज में भी प्रत्येक व्यक्ति की स्वाभाविक रूप से स्वतंत्रता समान होती है अर्थात किसी अन्य की स्वतंत्रता जहां से शुरू होती है वहां आपकी स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है।

प्रश्न–4 क्या प्राकृतिक संसाधनो पर सबका बराबर का हिस्सा है?

उत्तर–नहीं। प्राकृतिक संसाधनों पर सबका स्वतंत्र अधिकार होता है। जब संसाधन सीमित होते है तब उनके उपयोग के लिये नियम बनते है। जब तक संसाधन सीमित नहीं है तब तक कोई नियम नहीं बनते। प्राकृतिक संसाधनों का समान बंटवारा गलत अवधारणा है। जब तक सूर्य की रोशनी पर्याप्त है जल और वायु पर्याप्त है तब तक इनकी कोई सीमा नहीं बनाई जा सकती। एक व्यक्ति तालाब से जल लाकर बेचता है और दूसरा निकम्मा जाने की अपेक्षा बेचने वाले की आलोचना करता है तो आलोचना करने वाला गलत होता है।

प्रश्न–5 क्या कोई राजनैतिक व्यवस्था व्यक्ति की स्वतंत्रता की कोई सीमा नहीं बना सकती।

उत्तर–वह सीमा तो स्वयं प्राकृतिक रूप से बनी हुयी है। किसी को अन्य सीमा बनाने की आवश्यकता नहीं है। जब तक किसी अन्य की स्वतंत्रता का उल्लंघन न हो तब तक सीमा नहीं बन सकती। मैं अपना हाथ या डंडा वहां तक घुमा सकता हूँ। जहां तक दूसरे के नाक की सीमा है। कोई अन्य हमारे डंडे की लंबाई नहीं तय कर सकता। फिर भी जब हम नागरिक बन जाते है तब सब लोग मिलकर सीमा बना सकते है। जिसमें हमारी भी सहमति होती है।

प्रश्न–6 संपूर्ण समर्पण के बाद उस व्यक्ति के कौन से मौलिक अधिकार सुरक्षित रहते है?

उत्तर–व्यक्ति कभी भी परिवार अथवा इकाई को छोड सकता है। उसे रोका नहीं जा सकता। इकाई में प्रत्येक व्यक्ति के अधिकार समान होते है। किसी समझौते के अंतर्गत अधिकार कम ज्यादा नहीं किये जा सकते। व्यक्ति किसी भी समझौते को कभी भी तोड़ सकता है।

प्रश्न–7 क्या कोई स्त्री–पुरूष कभी भी परिवार बिना सरकारी अनुमति के छोड सकते है?

उत्तर–सरकार ने जो कानून बनाया है वह कानून ही अपराध है। किसी जीवित प्राणी को उसकी सहमति के बिना कहीं भी एक क्षण के लिये भी स्वतंत्र होने से नहीं रोका जा सकता है। नासमझ लोगो ने ऐसे अपराधिक कानून बना रखे है। स्वतंत्रता प्रत्येक व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार है। उसे किसी समझौते के अंतर्गत उसकी सहमति के बिना कम नहीं किया जा सकता। यदि किसी समझौते के अंतर्गत कम किया गया है तब भी उसकी सहमति आवश्यक है अन्यथा समाज उस समझौते की समीक्षा कर सकता है।

प्रश्न–8 क्या कोई व्यक्ति आत्म हत्या भी कर सकता है? क्या उसे परिवार भी नहीं रोक सकता।

उत्तर–कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र रूप से आत्म हत्या कर सकता है। जब तक वह परिवार सदस्य है तो परिवार उसे रोक सकता है किन्तु परिवार छोडते ही यह उसकी स्वतंत्रता है। इस संबंध में राज्य उसकी सहमति के बिना कोई कानून नहीं बना सकता।

प्रश्न–9 कोई व्यक्ति अपना देश छोडना चाहे तो उसे कानून रोक सकता है कि नहीं?

उत्तर–वर्तमान समय में तो रोकता है किन्तु ऐसा कानून गलत है। व्यक्ति को असीम स्वतंत्रता है वह कहीं भी जाकर रह सकता है।

प्रश्न–10 कोई देश उसे न स्वीकार करे तब क्या होगा?

उत्तर– या तो वह वहीं रहेगा अथवा आत्महत्या कर लेगा। बिना दूसरे देश सहमति के कोई वहॉ नहीं रह सकता।

प्रश्न–11 स्वतंत्रता और उच्श्रृंखलता में क्या अंतर है?

उत्तर–स्वतंत्रता व्यक्तिगत होती है और उच्श्रृंखलता किसी दूसरे की स्वतंत्रता का उल्लंघन। उच्श्रृंखलता अपराध होता है किन्तु उच्श्रृंखलता के नाम पर स्वतंत्रता में सीमा बनाने वाले कानून नहीं बनाये जा सकते।

प्रश्न–12 वर्तमान समय में अनेक लोग संपत्ति अथवा अभिव्यक्ति की सीमा बनाने की बात करते है। इस संबंध में आपका क्या मत है?

उत्तर– ऐसे लोग गलत है। ऐसे लोग अपने को ज्यादा बुद्धिमान और दूसरो को मूर्ख समझते है। ऐसे लोग समाज को गुलाम बनाकर रखना चाहते है। ऐसे लोग कहीं न कहीं राजनैतिक शक्ति प्राप्त करने की इच्छा रखते है। ऐसे लोगो से बचना चाहिये। सबको समान स्वतंत्रता है। उसे किसी भी कानून से कम ज्यादा नहीं किया जा सकता। दुनियां का प्रत्येक व्यक्ति असमान है। उसकी क्षमता भी असमान है अतः संपत्ति भी असमान ही होगी। कोई समानता के प्रयत्न असमान करने का प्रयत्न है।

प्रश्न–13 क्या व्यक्ति को कुछ भी खाने पहनने की स्वतंत्रता है?

उत्तर–पूरी तरह स्वतंत्रता होनी चाहिये। प्रत्येक व्यक्ति की सहमति से बने संविधान के अंतर्गत ऐसी असमानता संभव है जिसमें उसकी भी स्वीकृति प्राप्त है।

प्रश्न–14 यदि कोई स्कूल अपने बच्चो को ड्रेस कोड या भाषा थोप दे तो उसका अधिकार है कि नहीं?

उत्तर– आप स्कूल छोडने के लिये स्वतंत्र है किन्तु स्कूल में रहते हुये स्कूल के नियम पालन करना आवश्यक है। आपने स्कूल के नियम पालन की स्वीकृति दी है। कोई देश भी आपकी स्वीकृति से नियम बना सकता है।

प्रश्न–15 अनेक साम्यवादी देश ऐसे प्रतिबंध लगाते है। इसका क्या समाधान है?

उत्तर–साम्यवादी और मुस्लिम मान्यता अनुसार व्यक्ति राष्ट्र या धर्म की सम्पत्ति है प्राकृतिक इकाई नहीं। पूरी दुनियां को चाहिये कि सबसे पहले साम्यवादी और मुस्लिम विचारधारा के विरूद्ध जनमत जागरण करे।

प्रश्न–16 भारत में संविधान तंत्र नियंत्रित करता है क्या यह गलत है?

उत्तर–पूरी तरह गलत है सबसे पहला काम यही है कि संविधान को तंत्र की गुलामी से मुक्त किया जाये।

प्रश्न–17 संविधान निर्माताओं की नीयत गलत थी अथवा ज्ञान नहीं था?

उत्तर–हो सकता है कि उस समय की परिस्थितियां वैसी ही हो या उन्हें उतना ज्ञान न हो। संविधान की नकल करने को हम नीयत से नहीं जोड सकते मजबूरी भी हो सकती है।

प्रश्न–18 संविधान निर्माताओं की नीयत गलत थी अथवा ज्ञान नहीं था?

उत्तर–संविधान निर्माताओ की नीयत गलत थी वह फूट डालो और राज करो के विदेशी तरीके की नकल करते रहे। उन्हे ज्ञान था कि भेद भाव के कानून वर्ग संघर्ष पैदा करेगें इसलिये उन्होंने समान नागरिक संहिता लागू नहीं की थी।

प्रश्न–19 क्या आप इसे लोक तंत्र की हत्या मानते है?

उत्तर–मैं तो ऐसा ही मानता हूॅ। जिस देश का संविधान गुलाम हो वह संसदीय तानाशाही हो सकती है किन्तु लोकतंत्र नहीं। लोकतंत्र में संविधान का शासन होता है और तानाशाही में शासन का संविधान भारत में शासन का संविधान है संविधान का शासन नहीं।

प्रश्न–20 यह बदलाव कब शुरू किया गया और किसने किया?

उत्तर–सबसे पहला बदलाव पंडित नेहरू ने किया जिसमें नवी अनुसूची बनाकर उन्नीस सौ इक्यावन में ही न्यायपालिका को हस्तक्षेप से बाहर कर दिया गया। अम्बेडकर ने भी लगभग उसी समय हिन्दू कोड बनाकर एक नया षडयंत्र किया जिसका परिणाम आजतक हम सब भोग रहे है।

प्रश्न–21 क्या आप हिन्दू कोड बिल के विरूद्ध है?

उत्तर–हिन्दू कोड बिल भारत की बहुत बडी समस्या है। इस कलंक को तुरन्त दूर करना चाहिये।

प्रश्न–22 आपके विचार में संविधान निर्माताओं की नीयत खराब थी या भूल थी?

उत्तर– मेरे विचार से उनकी नीयत खराब थी वे फूट डालो राज करो की नीति पर चलना चाहते थे। उन्होंने जैसा किया वैसा ही परिणाम हुआ। पूरा समाज वर्ग संघर्ष से जूझ रहा है।

प्रश्न–23 क्या आप पर्सनल लॉ के पक्ष में है?

उत्तर–प्रत्येक व्यक्ति के पर्सनल लॉ सुरक्षित होने चाहिये। पर्सनल लॉ मे किसी कानून को कोई दखल नहीं देना चाहिये । हमारे नेताओं की नीयत खराब थी वे अल्पसंख्यक बहुसंख्यक के बीच झगडे कराकर स्वयं उसका लाभ लेना चाहते थे। जैसा वह चाहते थे, वैसा ही हुआ। आज भी अल्पसंख्यक बहुसंख्यक आपस में लड रहे है और नेता बिचौलिये बनकर मजा ले रहे है।

प्रश्न–24 यदि अलग–अलग कमजोर और मजबूत के लिये अलग–अलग कानून नहीं बनेगे तब कमजोर पिस जायेगा? कमजोरों की सुरक्षा के लिये आप क्या प्रावधान सोचते है?

उत्तर–प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा होनी चाहिये चाहे वे कमजोर हो या मजबूत। कमजोरों की मदद की जा सकती है किन्तु उन्हें अलग से अधिकार नही दिये जा सकते। अधिकार सबके बराबर होते है। किसी के अधिकार विशेष

नहीं हो सकते। यदि कोई विशेषाधिकार की बात करता है तो वह या तो निकम्मा है अथवा वह समाज को तोडना चाहता है। ऐसे लोगों की नीयत खराब हैं।

प्रश्न–25 क्या कमजोरो को मदद नहीं करनी चाहिये?

उत्तर–मदद और अधिकार अलग–अलग होते है मदद करने वाले की दया पर निर्भर है और अधिकार उसकी मजबूरी बन जाता है। मदद करनी चाहिये यह मजबूतों का कर्त्तव्य है कमजोरो का अधिकार नहीं। नासमझ नेताओं ने उसे अधिकार घोषित कर दिया।

प्रश्न–26 क्या इस प्रकार के सभी कानून समाप्त कर देने चाहिये?

उत्तर–इस प्रकार के भेदभाव पैदा करने वाले कानून वर्ग विद्वेष वर्ग संघर्ष पैदा करते है। ऐसे कानून पूरी तरह समाप्त हो जाने चाहिये।

प्रश्न–27 समाज में सामाजिक आर्थिक गैरबराबरी व्याप्त है। यह कैसे कम होगी?

उ–यह गैरबराबरी कम होनी चाहिये किन्तु राजनैतिक गैरबराबरी इन दोनो से अधिक घातक है। आर्थिक और सामाजिक गैरबराबरी में बल प्रयोग संभव नहीं किन्तु राजनैतिक गैरबराबरी सेना और पुलिस के माध्यम से होती है। जो लोग राजनैतिक गैरबराबरी की चिंता न करके आर्थिक सामाजिक गैर बराबरी की चिंता करते है उनकी नीयत खराब है। ऐसे लोगो का बहिष्कार होना चाहिये। आर्थिक सामाजिक गैरबराबरी दूर करना समाज का काम है राज्य का नहीं।

प्रश्न–28 यदि समाज अपना काम न करे तब राज्य क्या करे।

उत्तर–समाज मालिक है और राज्य मैनेजर। अब आप विचार करिये कि यदि राज्य ने गलत किया जैसा की अभी हो रहा है तब उसे कौन ठीक करेगा। समाज की गलती समाज ठीक करेगा और राज्य की गलती भी समाज ठीक करेगा क्योंकि समाज सर्वोच्च है।

प्रश्न–29 आज देश में आर्थिक सामाजिक धार्मिक न्याय की चर्चा होती है। क्या यह गलत है?

उत्तर–किसी प्रकार की न्याय की मांग यदि व्यवस्था को कमजोर करती है तो ऐसी मांग करना गलत है। व्यवस्था और न्याय के बीच संतुलन होना चाहिये।

प्रश्न–30 क्या आप हिन्दू कोड बिल खत्म करके महिलाओं के साथ अन्याय नहीं कर रहे है?

उत्तर–हिन्दू कोड बिल स्वयं महिला के साथ अन्याय है। हिन्दू कोड बिल को समाप्त करके महिलाओं को समान अधिकार दे दिया जाये तो सभी समस्याएं अपने आप निपट जायेगी। परम्परागत परिवार व्यवस्था को लोकतांत्रिक में बदला जाना चाहिये। यह बदलाव कानून से नहीं समाज के स्तर पर होना चाहिये किन्तु परिवार की संपूर्ण संपत्ति में सबका हिस्सा बराबर होना चाहिये। परिवार मुखिया भी सबकी सहमति से चुना जाना चाहिये। परिवार के किसी भी निर्णय में महिलाओं की भी भूमिका समान होनी चाहिये। महिलाओं को विशेष अधिकार नहीं समान अधिकार की जरूरत है। कुछ धूर्त महिलाएं विशेषाधिकार भी मांगती है और समान अधिकार भी। इन धूर्तो से बचना चाहिये। महिला अधिकार के लिये आंदोलन करने वाली महिलाओं को अपने घर में नहीं घुसने देना चाहिये।

प्रश्न–31 यह अर्थ कौन बताएगा?

उत्तर–हम सब लोग तो बता ही रहे है आप भी बताना शुरू कर दीजिये।

प्रश्न–32 समान नागरिक संहिता कैसे लागू होगी?

उत्तर– पहले जनजागरण होगा और उसके बाद बैठकर इस संबंध में योजना बन सकती है।

प्रश्नोत्तर ''भारतीय राजनीति में अच्छे लोग''

प्रश्न–1 क्या आप संसद की तुलना शौचालय से कर रहे है?

उत्ता– यह कहना पूरी तरह गलत है। मैंने संसद की तुलना नहीं की है बल्कि सम्पूर्ण संवैधानिक व्यवस्था की तुलना की है जिसमें संविधान को गुलाम बनाकर कुछ लोग उसमें मनमाना संशोधन कर लेते है। हम ऐसे संशोधनों को वेद वाक्य मानने और पालन करने के लिये बाध्य है।

प्रश्न–2 स्वतंत्रता के समय राजनीति में अच्छे लोग की परिभाषा क्या थी?

उत्तर– स्वतंत्रता के तत्काल बाद राजनीति में अच्छे लोग संघर्ष और त्याग की मात्र से परिभाषित थे। कुछ समय बाद वह परिभाषा बदली और अपनी राजनैतिक शक्ति बनाये रखने के प्रयत्नों तक सीमित हो गयी। बाद में यह परिभाषा अपने दल के लिये भ्रष्टाचार तक नीचे आ गई जो धीरे–धीरे अपने पारिवारिक भ्रष्टाचार तक गिर गई है। अब तो उससे भी नीचे आ गई है। अब तक लालू यादव, ओम प्रकाश चौटाला आदि अच्छे आदमी माने जा रहे है।

प्रश्न–3 एक सौ पच्चीस करोड़ व्यक्तियों का समाज इस तरह का बदलाव कैसे कर सकता है?

उत्तर– यदि स्वतंत्रता के पूर्व कुछ लोग विदेशी सत्ता से मुक्त हो सकते है तो इस समय तो हमारे पास सोशल मीडिया जैसा एक मजबूत शस्त्र भी मौजूद है। हम समाज में जनजागरण करे। हमारा एक सूत्रिय कार्यक्रम होना चाहिये कि संविधान संशोधन के अधिकार तंत्र से भिन्न किसी अन्य इकाई को दिये जाये।

प्रश्न–4 यह अधिकार किसी भिन्न इकाई को कौन देगा?

उत्तर– मेरे विचार में पहले जनजागरण हो और फिर बैठकर ऐसे किसी तरीके पर मार्ग निकाला जाये।

प्रश्न–5 क्या पूरी राजनैतिक व्यवस्था को शत्रुवत मान लेना उचित होगा?

उत्तर– व्यवस्था परिवर्तन की मुहिम शुरू होते ही अपना–अपना पक्ष निश्चित करना आवश्यक है। जो लोग इसके बाद भी राजनीति से जुडे रहेगे उन्हें शत्रु पक्ष मान लेना बिल्कुल गलत नहीं हैं ।

प्रश्न–6 क्या बदलाव की मुहिम शुरू हो चुकी है?

उत्तर– नहीं अभी तक सिर्फ जनजागरण हो रहा है। एक–दो वर्षो में ऐसे जागृत लोग बैठकर मुहिम शुरू कर सकते है।

प्रश्न–7 क्या हमारे राजनेता दुष्टों की ढाल बने हुये है?

उत्तर– यदि उनका स्वार्थ नहीं है और अपराधियों के साथ समझौता नहीं है तो ये लोग मिलकर संविधान को तंत्र से मुक्त करने की योजना पर काम क्यों नहीं कर रहे है।

प्रश्न–8 क्या संसद में अच्छे लोगो को भेजने के प्रयत्न गलत है?

उत्तर– कोई भी अच्छा आदमी चुनाव नहीं जीत सकता। यदि कोई जीत गया तो वहां जाने के बाद अच्छा नहीं रहेगा और यदि कोई अच्छा भी रह गया तो निश्चित रूप से अगले बार बाहर कर दिया जायेगा। अटल जी मनमोहन सिंह का उदाहरण हमारे सामने है। नरेन्द्र मोदी सारे अच्छे काम करने के बाद भी खतरे में है। राहुल सरीखे अच्छे आदमी को भी सारे बुरे लोगो से समझौते करने पड रहे है या तो बुरे लोगो को खुश रखना पडेगा या अपनी विदाई की प्रतीक्षा करनी होगी।

प्रश्न–9 ऐसा क्यो होता है?

उत्तर– शक्ति यदि किसी व्यक्ति के पास इकठ्ठी होती है तब उसकी क्षमता बहुत बढ जाती है। यदि वह पांच वर्षो का अभयदान प्राप्त हो तब तो वह और भी शक्तिशाली हो जाता है। यदि वहीं व्यक्ति संविधान भी संशोधन करते रहे तब वह तानाशाह हो जाता है।

प्रश्न–10 आप अल्पसंख्यक तुष्टिकरण के पक्ष में है या बहुसंख्यक तुष्टिकरण के।

उत्तर– कोई भी तुष्टिकरण घातक होता है सिर्फ एक तुष्टिकरण होना चाहिये और वह है कानून का पालन करने वालो का तुष्टिकरण। भारत में पूरी तरह समान नागरिक संहिता होनी चाहिये जिसके लिये दोनो पक्ष तैयार नहीं है।

प्रश्न–11 संसद को भी तो लोक ही चुनता है तब उस पर प्रश्न चिन्ह क्यों है?

उत्तर– हम न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका को संविधान के अंतर्गत कार्य करने के लिये नियुक्त करते है संविधान संशोधन या बदलाव के लिये नही। हमारे संविधान निर्माताओं ने हमे भ्रम मे रखकर लोकतंत्र की लोक नियंत्रित तंत्र जैसी आदर्श परिभाषा को बदलकर लोक नियुक्त तंत्र कर दिया। अब यह परिभाषा बदली जानी चाहिये। नियुक्त कभी सरकार नहीं हो सकता प्रबंधक या मैनेजर हो सकता है हम मैनेजर चुनते है और वे सरकार बन जाते है क्योंकि उनके पास संविधान संशोधन के असीम अधिकार भी है।

प्रश्न–12 क्या आप संसदीय लोकतंत्र को संसदीय तानाशाही मानते है?

उत्तर– जब तक संविधान स्वतंत्र नही है तब तक वह तानाशाही ही है। इसमें मानने या ना मानने का प्रश्न नही है क्योंकि जिसे संविधान निर्माण और संशोधन का अंतिम अधिकार होता है वह शासक होता है। दूसरे लोग मैनेजर या शासित।

प्रश्न–13 क्या आप कहना चाहते है कि वोट नहीं दिया जाये?

उत्तर– मैंने वोट नहीं दिया तब भी व्यवस्था पर कोई फर्क नहीं पडा। यदि दस बीस लाख लोग वोट नही भी देगे तब भी कोई अंतर नही पडेगा। मैं बहिष्कार की बात नही कह रहा किन्तु यदि व्यवस्था परिवर्तन की मुहिम शुरू होती है तब रणनीति पर विचार किया जा सकता है।

प्रश्न–14 आप व्यवस्था परिवर्तन के लिये कौन सा मार्ग ठीक समझते है?

उत्तर– जनजागरण के अतिरिक्त कोई अन्य मार्ग नहीं है। यदि जनजागरण होगा तो अपने आप मार्ग भी निकल जायेगा।

प्रश्न–15 क्या आप नेताओं को पुजारी के रूप में देखते है?

उत्तर– यदि संसद मंदिर है और संविधान भगवान है तो नेता पुजारी ही माने जायेगे क्योंकि नेता ही मंदिर और भगवान के नाम पर अपनी दुकानदारी चलाता रहता है और भक्तों को ठगता रहता है।

प्रश्न–16 क्या आप संविधान की तुलना चादर से कर रहे है?

उत्तर–यह संविधान ही संसद और राजनेताओं की ढाल बना हुआ है यदि चादर उठ जाये तब राजनेताओं की ढाल खत्म हो जायेगी। सबको साफ–साफ कचरा दिखने लग जायेगा। और उसे निपटा दिया जायेगा।

प्रश्न–17 हम पर हमारा राज का आशय क्या है?

उत्तर– भारत में लोकतंत्र कहा जाता है। लोकतंत्र का अर्थ होता है संविधान का शासन किन्तु भारतीय लोकतंत्र में संविधान तंत्र का गुलाम है और लोक संविधान संशोधन में तंत्र की इच्छा के विरूद्ध कोई भूमिका नहीं निभा सकता। इसलिये संविधान संशोधन में लोक की प्रत्येक्ष भूमिका हमारा राज का आशय है।

प्रश्न–18 हम राइट टू कॉस्टिटयूशन के लिये कहा संपर्क करे।

उत्तर– कार्यालय कौशाम्बी है। दो और तीन फरवरी को राष्ट्रीय सम्मेलन है। सामुदायिक केन्द्र नोएडा सेक्टर 55 पार्क प्लाजा होटल के पीछे। आप संपर्क कर सकते है। नवीन कुमार शर्मा 8851353345

मंथन कमांक –119 ''व्यक्ति, परिवार और समाज''

पश्चिम के लोकतांत्रिक देशों में व्यक्ति और सरकार को मिलाकर व्यवस्था बनती है। सरकार को ही समाज मान लिया जाता है। इस्लामिक व्यवस्था में परिवार और धर्म को मिलाकर व्यवस्था बनती है। साम्यवाद राज्य के अतिरिक्त किसी को मानता ही नहीं। न साम्यवाद व्यक्ति को मानता है, न परिवार, धर्म, समाज या किसी अन्य को। राज्य ही व्यवस्था की एक मात्र इकाई है। भारतीय व्यवस्था में व्यक्ति, परिवार और समाज को मिलाकर व्यवस्था बनती है। भारतीय व्यवस्था सीढीनुमा होती है जिसमें व्यक्ति, परिवार, कुटुम्ब, ग्राम या नगर से होते हुये समाज तक जाती है। राज्य को व्यवस्था की अंतिम इकाई न मानकर सहायक इकाई के रूप में माना जाता है। भारतीय व्यवस्था में राज्य को समाज का प्रतिनिधि नहीं माना जाता किन्तु व्यक्ति और परिवार को समाज का प्रतिनिधि माना जाता है। इस तरह भारत के अतिरिक्त अन्य सभी व्यवस्थाओं में राज्य समाज से भी उपर की भूमिका रखता है, जबकि भारत में नहीं।

पुराने जमाने में व्यवस्था की अंतिम इकाई नगर को माना जाता था इसलिये नगर के साथ नागरिक शब्द बना। अंग्रेजी में सिटी के साथ सिटीजन शब्द बना। स्पष्ट होता है कि नगर व्यवस्था की अंतिम इकाई थी। ऐसे अनेक नगरों को मिलाकर एक सम्मलित इकाई भी बन जाया करती थी जिसमें नगरों की विशेष भूमिका होती थी। आज भी विदेशों में काउंटि शब्द से कन्ट्री बन जाता है। स्पष्ट होता है कि कन्ट्री का अर्थ नगर से लिया जाता होगा। भारतीय व्यवस्था में परिवार एक संम्प्रभुता सम्पन्न इकाई थी जिसमें राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होता था। नीचे की इकाई उपर वालों को कुछ दायित्व सौंपकर व्यवस्था बनाती रहती थी किन्तु उपर की इकाई नीचे वाली इकाई के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती थी। मैं यह कह सकता हूॅ कि व्यक्ति, परिवार और समाज का भारतीय संतुलन भारतीय सामाजिक व्यवस्था में ही देखने को मिलता है, दुनियां की किसी अन्य सामाजिक व्यवस्था में नहीं। सीढीनुमा व्यवस्था अन्य व्यवस्था की तुलना में अधिक आदर्श और सुविधाजनक मानी जाती है। राज्य का काम सुरक्षा और न्याय देने तक सीमित होता है। इस सुरक्षा और न्याय में ही परिवार, गांव, नगर, जिला तथा समाज राज्य की सहायता करता है। इस तरह राज्य की भूमिका विशेष परिस्थितियों में ही होती है। इसका अर्थ हुआ कि राज्य के अतिरिक्त अन्य इकाईयां भी किसी प्रकार का अपराध होने की स्थिति में अपराध नियंत्रण का उस सीमा तक प्रयत्न करती है जब तक व्यक्ति को दंडित करने की कोई मजबूरी न हो अर्थात आपसी समझौते द्वारा अथवा सामाजिक बहिष्कार के भय का उपयोग करके व्यक्ति की उच्श्रृंखलता को नियंत्रित करने का प्रयास होता है। इसलिये परिवार की आदर्श परिभाषा यह होती है कि परिवार संयुक्त संपत्ति और संयुक्त उत्तरदायित्व के आधार पर एक साथ रहने के लिये सहमत व्यक्तियों का समूह होगा। मैं मानता हूॅ कि अब तक भारतीय परिवार व्यवस्था में भी यह धारणा स्पष्ट नहीं दिखती है। हो सकता है कि गुलामी के बाद भारत की पारिवारिक व्यवस्था में यह कमी आई हो। यदि यह इसके पहले भी कभी रही होगी तो अब बदलने की आवश्यकता है। इसका अर्थ हुआ कि परिवार की संपूर्ण चल–अचल सम्पत्ति सामूहिक होगी, व्यक्तिगत नहीं। व्यक्तिगत सम्पत्ति का पश्चिम का सिद्धांत पूरी तरह गलत है। परिवार एक संस्था है और उस संस्था में सभी सदस्यों का अधिकार दायित्व और सम्पत्ति सामूहिक होती है अर्थात व्यक्ति परिवार छोडते समय अपना बराबर का हिस्सा लेकर जा सकता है तथा नये परिवार में सम्मलित करना अनिवार्य है। कोई भी व्यक्ति न अकेला रह सकता है न अपनी सम्पत्ति अलग रख सकता है। व्यक्तिगत सम्पत्ति की मान्यता घातक है जो भारत में पश्चिम से आई और खतरनाक रूप से शामिल हो गयी।, इसी तरह परिवार के प्रत्येक सदस्य के अधिकार और दायित्व भी सामूहिक होते है। इसका अर्थ हुआ कि परिवार का सदस्य परिवार में रहते हुये कोई अपराध करता है जिस अपराध में परिवार

की भी मौन सहमति प्राप्त है तो उस अपराध के लिये पूरे परिवार को भी दंडित किया जा सकता है। परिवार का सामूहिक उत्तरदायित्व है व्यक्तिगत नहीं। यदि परिवार का कोई सदस्य मनमानी करता है तो या तो परिवार उसे परिवार से निकाल दे या सामूहिक दंड के लिये तैयार रहे। इसी तरह यदि कोई परिवार किसी रूप में सामाजिक व्यवस्था को नुकसान पहुँचाता है तो पूरे परिवार का भी बहिष्कार संभव है। इस प्रकार परिवार तथा अन्य सामाजिक इकाईयां व्यक्ति की उच्श्रृंखलता पर सामाजिक नियंत्रण रखती है और कोई व्यक्ति जब किसी नियंत्रण को नहीं मानता तब विशेष परिस्थिति समझकर राज्य व्यक्ति के मौलिक अधिकारों में कटौती करने का दंड देता है अन्यथा किसी स्थिति में दंड देने की आवश्यकता नहीं पडती।

परिवार में व्यक्ति को अनुशासन, समानता और सहजीवन की पूरी–पूरी ट्रैनिंग मिल जाती है। परिवार का अर्थ है सम्पूर्ण समर्पण। व्यक्ति के परिवार का सदस्य बनते ही उसके सभी अधिकार उसकी सहमति तक परिवार में समाहित हो जाते हैं। इसका अर्थ हुआ कि परिवार में व्यक्ति सिर्फ कर्तव्य करता है, उसके कोई अधिकार तब तक नहीं जब तक वह परिवार का सदस्य है। समाज की हर इकाई में व्यक्ति कर्तव्य प्रधान तथा अधिकार शून्य होता है। व्यक्ति के अधिकार तो संवैधानिक ही होते हैं। परिवार का ढॉचा सबकी सहमति से बनता है और नगर का ढांचा परिवारों की सहमति से बनता है। उपर की इकाईयां भी इसी तरह बनती चली जाती है। यह सभी इकाईयां व्यवस्था की इकाई होती है। एक अतिरिक्त इकाई बनती है। जिसे हम राज्य कहते है। राज्य किसी संवैधानिक इकाई का नाम है। राज्य संविधान के अंतर्गत काम करता है। संविधान निर्माण में प्रत्येक व्यक्ति की समान भूमिका होती है। राज्य व्यक्ति के व्यक्तिगत, परिवार के पारिवारिक और समाज के सामाजिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता क्योंकि यह सब समाज व्यवस्था की इकाईयां है। राज्य तो सिर्फ प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा और न्याय देने तक सीमित होता है। पश्चिमी संसदीय लोकतंत्र की विभिन्न बुराईयों ने भारतीय पारिवारिक, सामाजिक व्यवस्था को भी विकृत कर दिया। यहां तक कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने पश्चिम की नकल करते हुये परिवार व्यवस्था को संवैधानिक इकाई न मानकर कानूनी इकाई घोषित करने की भूल कर दी। परिणाम हुआ कि परिवार नगर, गांव, समाज सभी प्रमुख इकाईयां राज्य के हस्तक्षेप के अंतर्गत समाहित हो गई जिसके फलस्वरूप राज्य प्रबंधक की जगह मालिक बन गया और धीरे–धीरे उसने संविधान पर भी कब्जा कर लिया। जब तक मुस्लिम शासन काल था तब तक परिवार व्यवस्था और नगर व्यवस्था में सरकार का हस्तक्षेप न के बराबर था क्योंकि मुस्लिम व्यवस्था परिवार और कुटुम्ब को महत्वपूर्ण मानती है लेकिन अंग्रेजों की गुलामी के बाद परिवार और नगर व्यवस्था पूरी तरह राज्य के नियंत्रण में आ गई। यद्यपि मुस्लिम शासन में व्यक्ति का महत्व नहीं था जो अंग्रेजी शासन काल में स्थापित हो गया।

हम कह सकते है कि भारत की सम्पूर्ण व्यवस्था में व्यक्ति को पूरी तरह उसी तरह मौलिक अधिकार प्राप्त था जिस तरह पश्चिम के लोकतांत्रिक देशों में है। भारत की व्यवस्था में परिवार और कुटुम्ब का भी पूरा–पूरा स्थान था जिस तरह मुस्लिम व्यवस्था में है। भारत में ग्राम और नगर व्यवस्था को भी पूरी–पूरी मान्यता थी। राज्य को विशेष परिस्थिति में न्याय और सुरक्षा तक सीमित रखा गया था। गुलामी के बाद भारत की सारी की सारी सामाजिक व्यवस्था विकृत हो गयी और स्वतंत्रता के बाद पश्चिम और साम्यवाद की नकल करने वाले संविधान निर्माताओं ने भारत की अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था को पूरी तरह संविधान से बाहर कर दिया। भारत, जो व्यक्ति, परिवार और समाज के संतुलन से चलने वाली व्यवस्था का आदर्श माना जाता रहा है वही भारत इस्लाम, पश्चिम और साम्यवादी देशों के तालमेल से बनी खिचडी व्यवस्था से इतना प्रभावित हुआ कि उसकी मौलिक व्यवस्था ही समाप्त हो गई। परिवार और समाज व्यवस्था का अस्तित्व संकट में है। व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों को भी तंत्र द्वारा बनाया गया संविधान प्राकृतिक की जगह संवैधानिक मानने लगा है अर्थात व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता अभिव्यक्ति व सम्पत्ति आदि मूल अधिकारों की भी सीमाएं बनने लगी है। व्यक्ति की स्वतंत्रता क्या है, उसे संविधान परिभाषित करने लगा है। भारत की अपनी मौलिक सोच विदेशो की नकल के कारण अपनी वास्तविक स्वरूप खो रही है।

आज दुनियां एक संकटकालीन अव्यवस्था से भयभीत है। भारत तो ऐसी अव्यवस्था से दिन रात ग्रसित है। इस अव्यवस्था का सिर्फ एक ही समाधान है कि हम भारत के लोग भारत की अपनी परम्परागत व्यक्ति, परिवार और समाज के संतुलन की व्यवस्था पर लौटकर आ जाये और सारी दुनियां को यह संदेश दे सके कि व्यक्ति, परिवार और समाज का संतुलन ही वर्तमान विश्वव्यापी भय मुक्ति का तरीका है। मेरा निवेदन है कि हम इस

अभिनव प्रयोग के लिये भारत में पहल करें और भारत की व्यक्ति, परिवार, समाज व्यवस्था को राजनैतिक संवैधानिक व्यवस्था के चंगुल से मुक्त करावे।

प्रश्नोत्तर ''व्यक्ति परिवार और समाज''

प्रश्न–1 आपने मुख्य लेख में राज्य को समाज का सहायक माना है जबकि आप उसे प्रतिनिधि नहीं मान रहे।

उत्तर–सहायक प्रतिनिधि नही होता। प्रतिनिधि को सहायक तुलना में मालिक के समान विशेष अधिकार होते है। ऐसे विशेष अधिकार सरकार के पास नहीं होते। क्योंकि सरकार समाज द्वारा निर्मित संविधान से बंधी होती है। सरकार को आप व्यक्ति का प्रतिनिधि कह सकते है क्योंकि सरकार व्यक्ति की मौलिक अधिकारों की सुरक्षा का विशेष अधिकार रखती है। इसका अर्थ हुआ कि समाज की कोई भी इकाई व्यक्ति की सहमति के बिना उसके मौलिक अधिकारो का उल्लंघन नहीं कर सकती। सरकार कर सकती है।

प्रश्न–2 क्या पश्चिम की लोकतांत्रिक तथा इस्लामिक व्यवस्था में समाज की कोई भूमिका नहीं होती है?

उत्तर–पश्चिम की भूमिका में समाज का प्रतिनिधित्व सरकार करती है और इस्लाम में धर्म। पश्चिम में व्यक्ति को विशेष महत्वपूर्ण माना गया है जबकि इस्लाम में व्यकित को धार्मिक सम्पत्ति माना गया है। भारतीय व्यवस्था में समाज भी बिना सरकार के माध्यम के किसी को दण्डित नहीं कर सकता। बहिष्कार के माध्यम से सिर्फ अनुशासित कर सकता है।

प्रश्न–3 क्या साम्यवाद में व्यक्ति को कोई मौलिक अधिकार नहीं होते?

उत्तर–साम्यवाद में व्यक्ति को राष्ट्रीय सम्पत्ति माना जाता है इसलिये उसे कोई मौलिक अधिकार नहीं होता। साम्यवाद समाज का भी अस्तित्व नहीं मानता। वह तो राज्य को ही सब कुछ मानता है। साम्यवाद एक प्रकार की तानाशाही मानी जाती है।

प्रश्न–4 साम्यवाद को तानाशाही कैसे कह सकते है?

उत्तर–जहां शासन का संविधान होता है वह तानाशाही मानी जाती है। साम्यवाद में शासन संविधान बनाता है। वैसे तो भारत आदि कुछ देश भी संसदीय तानाशाही के रूप में माने जाते है क्योंकि इन दक्षिण एशिया के देशो में संविधान पर तंत्र का नियंत्रण होता है लोक का नहीं।

प्रश्न–5 यह व्यवस्था कब से बिगडी?

उत्तर–जबसे भारत पर अंग्रेजो का शासन आया उसके बाद परिवार व्यवस्था में राज्य का हस्तक्षेप बढता चला गया क्योंकि पश्चिम के लोग परिवार व्यवस्था को स्वतंत्र इकाई नहीं मानते।

प्रश्न–6 सम्प्रभुता सम्पन्न से आपका क्या आशय है?

उत्तर– मेरा आशय यह है कि परिवार के आंतरिक मामलों में परिवार का निर्णय अंतिम होगा। परिवार अपने परिवार के लिये अलग संविधान बना सकता है और उस संविधान के अनुसार अपनी व्यवस्था चला सकता है साथ ही परिवार उपर की इकाईयों से भी जुडा रहेगा।

प्रश्न–7 ऐसा संतुलन तो हमें भारत में देखने को नहीं मिल रहा है।

उत्तर– यह बात सही है किन्तु प्राचीन व्यवस्था इसी प्रकार थी जो गुलामी के काल में विकृत हो गयी और अब तक कोई सुधार नही है। अब सुधार होना चाहिये और परिवार को सम्प्रभुता सम्पन्न इकाई के रूप में स्थापित होना चाहिये।

प्रश्न–8 सामाजिक इकाईयां किसी व्यक्ति को दंड नही दे सकती तब वे सुरक्षा और न्याय में कैसे सहायता कर सकती है?

उत्तर–सामाजिक इकाईयां उच्श्रृंखल व्यक्ति का बहिष्कार कर सकती है। परिवार उसे परिवार से निकाल सकता है और यदि परिवार न निकाले तो ग्राम या नगर उस परिवार का बहिष्कार कर सकते है। सामाजिक अनुशासन बहुत महत्वपूर्ण होता है।

प्रश्न–9 क्या आप खाप पंचायतो का समर्थन कर रहे है?

उत्तर–खाप पंचायते यदि दंड देती है तो हम उसके विरूद्ध है और यदि सामाजिक बहिष्कार करती है तो हम उसका समर्थन करते है। वर्तमान समय में सरकारे पश्चिम की नकल करके सामाजिक बहिष्कार को भी रोक रही है। यह पूरी तरह गलत है। सामाजिक बहिष्कार की प्रणाली बहुत लाभदायक है। समाज अनुशासित करता है और जो नहीं मानता तब राज्य शासित करता है।

प्रश्न–10 संयुक्त उत्तरदायित्व से क्या आशय है?

उत्तर–परिवार का कोई सदस्य यदि कोई अपराध करता है तो उस अपराध की जिम्मेदारी पूरे परिवार की संयुक्त रूप से होती है। परिवार की सम्पत्ति संयुक्त है तब जिम्मेदारी अलग कैसे होगी। यदि कोई व्यक्ति अनुशासन नही मानता तो परिवार उसे अलग कर सकता है। इसके बाद उस व्यक्ति के अपराध की जिम्मेदारी उस परिवार की होगी जिस परिवार मे वह शामिल होगा।

प्रश्न–11 महिलाओं का सम्पत्ति में किस प्रकार अधिकार होगा?

उत्तर–जब बिना किसी भेदभाव के सबका अधिकार सम्पत्ति में बराबर होगा तो उसमें महिला भी शामिल है।

प्रश्न–12 कोई व्यक्ति अकेला रहना चाहे तो वह अपनी सम्पत्ति रख सकता है कि नहीं।

उत्तर–कोई व्यक्ति अकेला रह ही नही सकेगा। यदि कोई अकेला रहेगा तो उसकी सुरक्षा का दायित्व न समाज का होगा न सरकार का इसलिये यह प्रश्न काल्पनिक है। जब कोई व्यक्ति दूसरो की सुरक्षा से स्वयं को दूर रखेगा तब समाज उसकी सुरक्षा क्यों करे।

प्रश्न–13 जब आप सम्पत्ति को मौलिक अधिकार मानते है तब आप व्यक्तिगत सम्पत्ति के सिद्धांत को कैसे अस्वीकार कर सकते है।

उत्तर–मैं सम्पत्ति को मौलिक अधिकार मानता हूॅ और व्यक्ति की स्वतंत्रता है कि वह जिस के साथ जुडना चाहे और जब तक साथ रहना चाहे तब तक रह सकता है। साथ छोडते ही उसकी सम्पत्ति तब तक व्यक्तिगत है जब तक वह नये परिवार के साथ नहीं जुड जाता। किसी न किसी सामाजिक व्यवस्था के साथ जुडना उसके लिये अनिवार्य है।

प्रश्न–14 क्या आप व्यक्तिगत सम्पत्ति की पश्चिम की अवधारणा के पूरी तरह विरूद्ध है?

उत्तर– मैं पूरी तरह विरूद्ध हूॅ। व्यक्तिगत सम्पत्ति की अवधारणा के कारण व्यक्तियों में स्वार्थ भी बढा है और अपराध भाव भी बढा है। यदि सम्पत्ति सहमति से सामूहिक हो जाये तो बहुत से अपराध अपने आप कम हो जायेगे।

प्रश्न–15 परिवार या समाज व्यक्ति की उच्श्रृंखलता पर कैसे नियंत्रण कर सकता है?

उत्तर–सामाजिक बहिष्कार या परिवार से निष्कासन इसके महत्वपूर्ण हथियार होते है। अधिकांश उच्श्रृंखल व्यक्ति बहिष्कार नही झेल सकते और अपना स्वभाव बदल लेते है।

प्रश्न–16 वर्तमान भारत में ऐसी कोई व्यवस्था देखने को नहीं मिलती। न तो संविधान निर्माण में व्यक्ति की भूमिका है न ही राज्य अपने अधिकारो की सीमा समझता है। फिर इस चर्चा का क्या मतलब है

उत्तर–यदि कोई व्यक्ति स्वयं को डॉक्टर समझता है तब उसे बीमारी के विस्तार से घबराना नही चाहिये। वर्तमान समय में विश्व में और विशेष कर भारत में यदि ऐसी अव्यवस्था नही होती तो हम सबको भी चर्चा करने की आवश्यकता नहीं होती। चर्चा आवश्यक है इसका अर्थ है कि समस्या है और समाधान खोजा जाना चाहिये।

प्रश्न–17 क्या भारत में परिवार और गांव को संवैधानिक इकाई नहीं माना है?

उत्तर– यह सही है कि भारत में परिवार, गांव को संवैधानिक इकाई नहीं माना है बल्कि इसके विपरीत धर्म, जाति, लिंग, भेद को संवैधानिक इकाई माना गया है जिसे नहीं मानना चाहिये। अब यह मांग उठनी चाहिये कि जाति, धर्म, भाषा, उम्र, लिंग, गरीब अमीर, जैसे भेद करने वाले संवैधानिक प्रावधानों को समाप्त करके परिवार गांव को व्यवस्था की इकाई मान लिया जाये।

प्रश्न–18 यह अंग्रेजो ने भूल वश किया या जानबूझकर।

उत्तर–अंग्रेज परिवार और समाज व्यवस्था नही मानते थे। वे सीधा व्यक्ति और राज्य को ही मानते रहे उसी आधार पर उन्होंने भारत की व्यवस्था की। अंग्रेजो के जाने के बाद हमारे देश के काले अंग्रेजो ने भी उन्हीं अंग्रेजो की नकल की।

प्रश्न–19 हमारे संविधान निर्माताओं ने ऐसा क्यों नहीं किया?

उत्तर–संविधान निर्माताओं की नीयत खराब थी। उन्होंने पश्चिम इस्लाम तथा साम्यवाद की अच्छाईयों को ग्रहण नही किया और बुराईयों ग्रहण कर लिया। उसी का परिणाम है आज की अव्यवस्था।

प्रश्न–20 क्या संविधान मौलिक अधिकारो की परिभाषा नहीं बना सकता।

उत्तर–व्यक्ति के मौलिक अधिकार प्रकृति प्रदत्त होते है संविधान प्रदत्त नहीं। यह अधिकार पूरी दुनियां में एक समान होते है और किसी भी परिस्थिति में कम ज्यादा नहीं किये जा सकते इसलिये भारतीय संविधान भी इनसे छेडछाड नहीं कर सकता।

प्रश्न–21 सम्पत्ति का अधिकार संविधान में नहीं है फिर आप कैसे मानते है?

उत्तर–सम्पत्ति का अधिकार सारी दुनियां में प्राकृतिक अधिकार है। उसे कोई नहीं निकाल सकता। यदि कोई छेडछाड होती है तो वह अपराध है। भारत में प्रारंभ में सम्पत्ति मौलिक अधिकार था जिसे बीच में गलत तरीके से निकाल दिया गया। अब तो कुछ नासमझ लोग अभिव्यक्ति या सम्पत्ति की अधिकतम सीमा बनाने की मांग करते है जो गलत है। मूल अधिकार में कोई छेडछाड नहीं हो सकती।

प्रश्न–22 क्या व्यक्ति के कोई सामाजिक अधिकार नहीं होते

उत्तर–व्यक्ति किसी न किसी परिवार सदस्य होता है तब उसके व्यक्तिगत अधिकार कैसे होगे। उसके सामूहिक अधिकार अधिकार हो सकते है।

उत्तरार्ध

ज्ञान यज्ञ का आयोजन ग्राम–कुदरही नागौद, सतना मध्य प्रदेश में

दिनॉक 30 दिसम्बर 2018, दिन रविवार को ग्राम कुदरही नागौद, जिला–सतना मध्य प्रदेश में ''ज्ञान–यज्ञ'' कार्यक्रम का आयोजन किया गया इस कार्यक्रम के प्रमुख वक्ता के रूप में ऋषिकेश से आये ज्ञान–यज्ञ के राष्ट्रीय संयोजक अभ्युदय भाई जी ने अपने विचार रखें व उक्त कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित मध्य प्रदेश के लोक प्रदेश प्रमुख श्री रविनाथ चतुर्वेदी जी, श्री शरद दुबे जी, श्री शील निधि तिवारी जी व ज्ञान यज्ञ के जिला संयोजक श्री दुर्गा प्रसाद कुशवाहा जी एवं सतना के प्रबुद्ध श्री राकेश शाहूजी जी (बनारसी भाई) जो 84 लाख राम नाम कलात्मक ढंग से संग्रह करके एक कीर्ति स्थापित करने वाले सतना के प्रमुख व्यक्ति है व ज्ञान–यज्ञ के आयोजन को आयोजित करने वाले ग्राम पंचायत कुदहरी कला के सरपंच श्री रामानुज कुशवाहा जी के संयोजन में यह ज्ञान–यज्ञ का कार्यक्रम रखा गया जिसका विषय ज्ञान यज्ञ क्यों, क्या कैसे था। इस विषय पर अभ्युदय भाई ने विचार रखते हुये कहा कि आज दुनियां और विशेष रूप से भारत का ऑकलन करे तो भौतिक उन्नति तेज गति से हो रही है और नैतिक पतन भी उतनी तेज गति से हो रहा है। हिंसा पर विश्वास बढ रहा है और विचार मंथन का घट रहा है। राजनैतिक शक्तियां मजबूत हो रही है और सामाजिक शक्तियां कमजोर हो रही हैं। धन और शक्ति का प्रभाव बढ रहा है और विचारों का महत्व घट रहा है। भारत इन सब बुराइयों से लिप्त है। इसके साथ साथ भारत में परिवार व्यवस्था को राजनेताओं के द्वारा सुनियोजित तरीके से कमजोर किया जा रहै है जैसे वर्ग विद्वेष, जाति कटुता, लिंग भेद आदि विद्वेषों को बढाया जा रहा है तथा शराफत और चालाकी दोनो लोगों में बढ रही है तथा दूसरी ओर लोगो में समझदारी घट रही है। जिसके बीच संतुलन बनाने के लिये ज्ञान यज्ञ परिवार समझदारी ही एक विकल्प मान रहा है। इस समझदारी व संतुलन का प्रारंभ ज्ञान यज्ञ के माध्यम से रामानुजगंज, सरगुजा, छत्तीसगढ से प्रारंभ किया गया। वर्तमान समय में ज्ञान–यज्ञ परिवार देश भर में ज्ञान यज्ञ का आयोजन जनजागरण के माध्यम से समाज सशक्तिकरण तथा राज्य कमजोरी करण करके दोनो के बीच संतुलन बनाने का प्रयत्न कर रहा है। जिसकी रूप रेखा इस तरह है जैसे–आधे घण्टे का भावनात्मक धार्मिक आयोजन तथा ढाई घण्टे का किसी विषय पर स्वतंत्र विचार मंथन होता है। उक्त कार्यक्रम में अभ्युदय भाई ने अपने उद्‌बोधन में बताया कि इस ज्ञान यज्ञ के प्रेरणा स्रोत माननीय बजरंग मुनि जी ने समाज में फैली हुई अव्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए ज्ञान यज्ञ के माध्यम से अपने जीवन को समर्पित कर इकाई गत एक वैश्विक संविधान हो इस दिशा में कार्य कर रहे हैं।

इस कार्यक्रम को सफलता पूर्ण आयोजित कराने के लिए भाई रामानुज कुशवाहा जी सरपंच कुदरही नागौद को ज्ञान यज्ञ परिवार की ओर से बहुत–बहुत शुभकामनाएं। ज्ञान यज्ञ से प्रभावित होकर रामानुज कुशवाहा, राकेश साहू, शील निधि एडवोकेट व दुर्गा प्रसाद कुशवाह ज्ञान यज्ञ संकल्प पत्र भरे तथा उक्त कार्यक्रम को क्रमगत बढ़ाते हुये वर्ष में एक या एक से अधिक बार ज्ञान यज्ञ कराने का जिम्मा लिया तथा वहां पर उपस्थित आसपास के प्रबुद्ध गणमान्य नागरिक इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे और सभी ने एक स्वर से कहा कि यह जो ज्ञान यज्ञ का कार्यक्रम हो रहा है वह बहुत ही सराहनीय हैं और इससे समाज में फैली अव्यवस्था दूर होगी तथा समाज में पुनः ''वसुधैव कुटुंबकम'' समभाव की जागृति होगी ।